

समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 15/2022

इण्डस टावर लि., छठवीं फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

----- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)

दिबियापुर, औरैया ।

----- विपक्षी

- अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)  
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी इण्डस टावर लि. द्वारा इनर्जी कंट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दिबियापुर, जिला औरैया (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरुद्ध अपने संयोजन सं. 781726688774 के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूल्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

- (a) विद्युत बिलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये।
- (b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी बिलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाये।
- (c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाये।
- (e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

इण्डस टावर लि. लालू सिंह उदीपुर, संयोजन सं. 781726688774 स्वीकृत भार 16.667.KW

का Previous Arrear & Previous Surcharge रु. 5,41,634/- था।

आगे जारी है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाँह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दिबियापुर, जिला औरैया के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।


परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। परिवादी ने विद्युत बिल (का. सं. 1/9) दाखिल किया। विपक्षी की ओर से (का. सं. 3) पत्रांक सं. 3696/वि.वि.ख.दिबि. दिनांक 03.09.2022 दाखिल किया गया है।


परिवाद सं. 29/2021 इण्डस टावर लि. पहले से ही दाखिल था। इसलिए परिवाद सं. 15/2022 इण्डस टावर लि. Duplicate होने के कारण परिवाद इस फोरम में दर्ज कराने योग्य नहीं है। परिवादी की ओर से परिवाद पर बल न देने हेतु कहा गया है और इसके सम्बन्ध में परिवाद पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखा भी गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश


परिवादी इण्डस टावर लि. का परिवाद बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।


  
(संजीव कुमार गुप्ता)  
सदस्य/अनु०

  
(संतोष कुमार तिवारी)  
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांक:- 14/10/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

  
(संजीव कुमार गुप्ता)  
सदस्य/अनु०

  
(संतोष कुमार तिवारी)  
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांक:- 14/10/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.)  
(iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति